

(DEPT. OF GEOGRAPHY)

A.N.D. COLLEGE, SHAHPUR PATORY, SAMASTIPUR

FOR B.A. - II (HONS)

PAPER-3, GEOGRAPHY OF INDIA &amp; BIHAR

## LECTURE-45

UNIT-4

INTRODUCTION OF SETTLEMENT

## अधिवास का परिचय

'आश्रय' मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक है। मानव जिस स्थान को आश्रय के लिए चुन लेता है और वहाँ आश्रय हेतु जिन मकानों, घरों, भौपड़ियों आदि का निर्माण करता है, वह उसका अधिवास कहलाता है। इन्हीं के द्वारा मानवीय वस्तुओं का निर्माण होता है। इन मानवीय वस्तुओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। यह वो घास-फूस की भौपड़ियाँ हो या कोई बृक्षों की टहनियों या ईंटों से बना कुटिया, मिट्टी या लकड़ी का घर हो इमारत हो या कोई आधुनिक ऊँची अटॉमिक याहै वह किसी मिखरी की कुटिया हो या राजा का राजमहल।

चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके अधिवास हमारे सांस्कृतिक वातावरण के अंग है, जिसका निर्माण वह प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके करता है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र के मानवीय अधिवासों को देखकर हम वहाँ के मानव की संस्कृति, उनके सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अनुमान लगा सकते हैं। अतः अधिवासों का अध्ययन मानव भूगोल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मानवीय अधिवासों के अंतर्गत मानव के आश्रय हेतु बने मकानों को तो लिया जाता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कल-कारखानों, कार्यालयों, शैक्षणिक

धार्मिक संस्थाओं आदि से संबंधित सवनों को भी अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। मानव अधिकार से अभिप्राय मानव द्वारा रचित उस रचना से है जो उसके रहने अथवा कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनायी गयी है, ये अधिकार मानव के सांस्कृतिक वातावरण का अभिन्न अंग होते हैं। इनके निर्माण में उत्पत्तिक परिस्थितियों में आवश्यक एवं अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कई बार क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक रचना में और अधिकार के प्रतिरूप में अंतर स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगता है।

### अधिकार के प्रकार (TYPES OF SETTLEMENTS)

अधिकार दो प्रकार के होते हैं—

- 1) स्थायी अधिकार (Permanent Settlements)
- 2) अस्थायी अधिकार (Temporary Settlements)

स्थायी अधिकार → स्थायी वस्तियाँ सुविधायुक्त क्षेत्रों में मिलती हैं, जहाँ भूमि समतल एवं उपजाऊ हो पर्याप्त जल की उपलब्धता सुरक्षित मानव जीवन, परिवहन के साधन इत्यादि।

अस्थायी अधिकार → ये मुख्यतः शिकारी, चरवाहे तथा प्राचीन ढंग से खेती करने वाले कृषकों अथवा जहाँ पशुपालन ऋतु के अनुसार ऊँचे पहाड़ी भागों या घाटियों में स्थानांतरण होता रहता है।